25/11/25

उभय पक्ष उप० बहस सुनी। दावा वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नत्थी से रूज हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2018/00098

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 42/2018 GCMS:-2018/000096 दायर दिनांक : 09.03.2018

कालुराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर —वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र आईदानराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री संजय चाण्डक, अभिभाषक वादी
2. श्री राम प्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक, अभिभाषकगण प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 25.11.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दादा आईदानराम पुत्र मंगलाराम के नाम से रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 भूमि में से 12 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो उनके स्वर्गवास उपरान्त वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। वर्तमान में 4.896 है0 में से 5/14 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है, जो पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है, जिसमें वादी का जन्म से ही 1/2 हिस्सा बनता है। वादी ने प्रतिवादी से अधीन पैतृक भूमि में उसके हक व हिस्सा की भूमि का अंकन वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु कई बार निवेदन किया, परन्तु वे किसी न किसी बहाने से टाल करते रहे और अन्त में स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिए वादी ने रोही कानौर के संयुक्त खाता में अंकित उक्त कुल 4.896 है0 बारानी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

5/14 हिस्सा यानि 1.749 है0 पैतृक कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 0.875 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने व वाद में अन्तिम निर्णय होने से पूर्व प्रतिवादी सं. 1 को वादाधीन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 5/14 हिस्सा भूमि को अन्यत्र रहन–बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रंजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादाधीन भूमि आईदानराम के नाम की थी, जो राजस्व रिकॉर्ड में विरासतन दर्ज हो चुकी है। वाद–पत्र में जो वंशावली दर्शाई गई है वो कतई गलत है। आईदानराम के तीन पुत्र व तीन पुत्रियां एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता, इस प्रकार कुल 7 वारिस हैं। वादाधीन भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 5/14 हिस्सा का अंकन सही है, क्योंकि इसमें प्रतिवादी को अपनी माता व तीन बहिनों के हिस्सा की भूमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 28.09.2007 को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी को अपने पिता से 0.3497 है0 विरासतन प्राप्त हुई जिसमें प्रतिवादी स्वयं, पुत्र, पत्नी प्रत्येक का 0.1165 है0 हिस्सा बनता है। शेष 1.396 है0 भूमि माता व बहिनों से प्राप्त हुई जो स्वयं अर्जित भूमि की परिभाषा में आती है। इस प्रकार विरासतन प्राप्तशुदा भूमि में वादी का हिस्सा 0.1165 है0 बनता है। वादी ने गलत हिस्सा अंकित कर वाद पेश किया है। वादी द्वारा बिना हक के वाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयी :–

(1) आया राजस्व तहसील सूरतगढ़ के ग्राम कानौर की रोही के खसरा नं. 56 में संयुक्त खाता में दर्ज कुल 4.896 है0 कृषि भूमि में 12.00 बीघा हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आईदानराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज थी ? (वादी)

(2) आया वादाधीन कृषि भूमि जो प्रतिवादी नं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, वह उसकी स्वःअर्जित भूमि है ? (प्रतिवादी नं. 1)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

(3) आया वादी प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्सा अर्थात 0.875 है0 भूमि को वाद–पत्र के माध्यम से घोषित करवाकर प्राप्त करने का अधिकारी है ? (वादी)

(4) आया वादी का प्रतिवादी नं. 1 की 5/14 हिस्सा भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है ? (प्रतिवादी नं. 1)

(5) आया प्रतिवादी नं. 1 को अपनी माता व बहिनों से जरिए दस्तबरदारी दिनांक 28.09.2007 को भूमि प्राप्त हुई होने के कारण स्वःअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। इसलिए वादी का हक पैदा नहीं हुआ है ?

(प्रतिवादी नं. 1)

(6) आया वादी प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 5/14 हिस्सा भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय नहीं करने बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है ? (वादी)

(7) अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य लिये गये। वादी ने साक्ष्य में अपने स्वयं के बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह वकील प्रतिवादी समायत की गई। काफी अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद रोही कानौर के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 भूमि में से 12 बीघा खातेदारी भूमि वादी के दादा आईदानराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी और उनके स्वर्गवास होने के बाद वारिसान के नाम में दर्ज हुई। वर्तमान में 4.896 है0 में सें 5/14 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द के नाम दर्ज चली आ रही है। यह भूमि पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है, इसलिए रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी [illegible]070 से 73 के संयुक्त खाता सं. 97/28 के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 [illegible] खातेदारी कृषि भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द के नाम अंकित 5/14 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद रोही कानौर के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 12 बीघा भूमि पूर्व में प्रतिवादी के पिता आईदानराम के नाम से दर्ज थी, जो राजस्व रिकॉर्ड में विरासतन दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व उसके दो भाई एवं तीन बहिनें तथा माता, इस प्रकार कुल 7 वारिस हैं। प्रतिवादी की माता व बहिनों ने जैरवाद भूमि में विरासतन प्राप्त अपना हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 28.09.2007 को वादी के पक्ष में छोड़ दिया। इस प्रकार रोही कानौर के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी के नाम 5/14 हिस्सा दर्ज हुआ। माता व बहिनों से प्राप्त भूमि स्वयं अर्जित भूमि की परिभाषा में आती है। वादी ने गलत हिस्सा अंकित कर वाद प्रस्तुत किया है, इसलिए वादी द्वारा बिना हक के वाद प्रस्तुत करने के कारण वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हितों की सुरक्षा करते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :-

तनकी नं. (1) – <u>आया राजस्व तहसील सूरतगढ़ के ग्राम कानौर की रोही के खसरा नं. 56 में संयुक्त खाता में दर्ज कुल 4.896 है0 कृषि भूमि में 12.00 बीघा हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आईदानराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज थी ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसे सिद्ध करने के लिए उसकी द्वारा रोही कानौर की जमाबन्दी सम्वत् 2050 प्रस्तुत की गई जिसमें खसरा नं. 56 में 19.07 बीघा व 54 में 45.01 बीघा, कुल 64.08 बीघा के खाते में आईदानराम के नाम 240 हिस्सा अर्थात 12 बीघा रकबा संयुक्त खाते में दर्ज है। यह भूमि बाद खाता विभाजन खसरा नं. 56 की 4.896 है0 उनके वारिसों के नाम रोही कानौर की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में अंकित है, जो आईदान के वारिसों के नाम अंकित है व प्रतिवादी सं. 1 के नाम 5/14

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हिस्सा दर्ज कागजात है। इससे तनकी नं. 1 सन्देह से परे सिद्ध होने से बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया वादाधीन कृषि भूमि जो प्रतिवादी नं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, वह उसकी स्वःअर्जित भूमि है ? (प्रतिवादी नं. 1)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नं. 1 पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए तनकी नं. 2 विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया वादी प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्सा अर्थात 0.875 है0 भूमि को वाद–पत्र के माध्यम से घोषित करवाकर प्राप्त करने का अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इसे सिद्ध करने के लिए अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। शपथ–पत्र का प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिए तनकी नं. 3 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – आया वादी का प्रतिवादी नं. 1 की 5/14 हिस्सा भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है ? (प्रतिवादी नं. 1)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नं. 1 पर था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। तनकी नं. 4 विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (5) – आया प्रतिवादी नं. 1 को अपनी माता व बहिनों से जरिए दस्तबरदारी दिनांक 28.09.2007 को भूमि प्राप्त हुई होने के कारण स्वःअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। इसलिए वादी का हक पैदा नहीं हुआ है ? (प्रतिवादी नं. 1)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी नं. 1 पर था। उसके द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिए तनकी नं. 5 विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (6) – आया वादी प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 5/14 हिस्सा भूमि को किसी भी प्रकार से रेहन, बैय नहीं करने बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है ? (वादी)

क्रमशः ..... पेज 6 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा शपथ–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए इस तनकी को सन्देह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता व स्वयं वादी के कथन अनुसार वादचलन के दौरान ही यह अनुतोष मांगा गया था। पूर्ण वाद का निर्णय हो रहा है, इसलिए वादी के हितों तक ही अब अनुतोष देय है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार तनकी नं. 1, 3 बहक वादी व तनकी नं. 2, 4, 5 विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जा चुकी है। इसी अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के संयुक्त खाता सं. 97/28 के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द पुत्र आईदानराम के नाम अंकित 5/14 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रोही कामौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के संयुक्त खाता सं. 97/28 के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द पुत्र आईदानराम के नाम अंकित 5/14 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर वादी कालुराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 25.11.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

कालुराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर –वादी

बनाम

1. **लालचन्द पुत्र आईदानराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
2. **तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 42 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री संजय चाण्डक व अभिभाषकगण प्रतिवादी सं. 1 श्री राम प्रताप तिवाड़ी एवं श्री कैलाश पारीक तथा पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाकर रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के संयुक्त खाता सं. 97/28 के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द पुत्र आईदानराम के नाम अंकित 5/14 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के संयुक्त खाता सं. 97/28 के खसरा नं. 56 की 4.896 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द पुत्र आईदानराम के नाम अंकित 5/14 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर वादी कालुराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **25.11.2025** को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़